International Environmental
Law Research Centre

Madhya Pradesh Sand Mining Policy, 2017

This document is available at ielrc.org/content/e1725.pdf

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

मध्यप्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश रेत खनन नीति,

2017

:: अनुक्रमणिका ::

1. पृष्ठ भूमि 1

2. नीति का उद्देश्य.. 2

3. रेत खनन नीति, 2017.. 3

मध्य प्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग

<u>मध्यप्रदेश रेत खनन नीति, 2017</u>

1) **पृष्ठ भूमि -** खनिज साधन विभाग द्वारा प्रदेश में रेत खनिज के संबंध में रेत खनन नीति 2015 लागू की गई थी। प्रदेश में कुल 1266 रेत खदानें चिन्हित थीं। जिसमें से नर्मदा नदी पर 160 तथा अन्य नदियों पर 1106 खदानें चिन्हिंत थीं। इस नीति के अनुक्रम में प्रदेश में रेत खनिज की इन खदानों की ई-नीलामी की गई थी। ई-नीलामी के माध्यम से 956 खदानों की नीलामी की गई थीं। इसमें से कुल 445 खदानें संचालित हो पाई थीं। जिसमें से नर्मदा नदी पर 87 तथा अन्य नदियों पर 358 खदानें थीं। शेष खदानें वैधानिक अनुमति एवं शर्तों की पूर्ति न होने के कारण संचालित नही हो सकी।

प्रदेश में नवीन रेत खनन नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में अन्य राज्यों यथा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडू एवं कर्नाटक में प्रचलित रेत खनन की व्यवस्था का अध्ययन किया गया।

विभाग द्वारा प्रदेश में रेत खनन नीति निर्धारित करने हेतु कार्यशाला का आयोजन दिनांक 21.06.2017 को किया गया। इस कार्यशाला में पर्यावरण विद, तकनीकी विशेषज्ञों, अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला उपरांत रेत खनन नीति 2017 का प्रारूप तैयार किया गया। इस नीति पर सुझाव आमंत्रित किये गये। इस संबंध में दिनांक 06.09.2017 को पुन: कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रत्येक संभाग से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं सरपंच को आहूत किया गया। प्राप्त सुझाव उपरांत इस नीति का पुन: नवीन प्रारूप तैयार कर इस पर जन सामान्य एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किये गये।

प्राप्त सुझावों के आधार पर तेलगांना एव छत्तीसगढ़ में प्रचलित नीति के आधार पर विभाग द्वारा रेत खनन नीति, 2017 तैयार की गई। इस तैयार नीति के संबंध में उच्च स्तर पर विचार किया गया और प्राप्त निर्देश के अनुसार पुन: संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया।

राज्य शासन द्वारा समग्र रूप से विचारोपरांत निम्नानुसार प्रदेश में रेत खनन के संबंध में मध्यप्रदेश रेत खनन नीति, 2017 लागू करती है:-

2) नीति का उद्देश्य:-

1) प्रदेश में जन सामान्य को सस्ती दरों पर सुगमता से रेत खनिज उपलब्ध हो सके।

2) रेत खनन में स्थानीय निकायों की भूमिका सुनिश्चित करना।

3) नदियों के पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण।

3) रेत खनन नीति, 2017:-

1) रेत खदानों का चिन्हांकन, सीमांकन, मात्रा निर्धारण एवं मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 8 के तहत घोषित किये जाने का कार्य विहित प्रक्रिया से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा किया जायेगा।

2) पूर्व से घोषित एवं असंचालित रेत खदानों के संचालन का कार्य यथा स्थिति ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा। इन खदानों का ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय द्वारा ठेका दिया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

3) खदान संचालन हेतु आवश्यक खनन योजना तैयार करना, पर्यावरण अनुमति एवं प्रदूषण संबंधी सम्मति (सी.टी.ओ.) कलेक्टर द्वारा प्राप्त की जायेगी।

4) खनन योजना का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा खनिज शाखा में पदस्थ खनिज विभाग के प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा के प्रस्ताव पर किया जायेगा।

इसके लिये मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

5) ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा रेत खदान का संचालन अनुमोदित खनन योजना अनुसार किया जायेगा।

6) अनुमोदित खनन योजना की शर्तों, पर्यावरण अनुमति की शर्तों तथा प्रदूषण संबंधी सम्मति की शर्तों के पालन का दायित्व ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का होगा।

7) रेत खनिज के परिवहन में अभिवहन पार पत्र आवश्यक नहीं होगा। अत: सडकों पर रेत परिवहन की अनावश्यक चेकिंग नहीं की जाएगी।

8) रेत खनिज की चोरी के मामले खनिज विभाग/पंचायत/नगरीय निकाय की शिकायत पर ही दर्ज किये जाएंगे।

9) रेत खनिज से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी की 50 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपये 50 प्रति घन मीटर संबंधित ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय को एवं 50 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपये 50 प्रति घन मीटर की दर से राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को दी जावेगी।

10) कलेक्टर सेक्टर की वर्तमान चालू खदानों से मिलने वाले प्रीमियम / रॉयल्टी में से रूपये 25 प्रति घन मीटर मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को एवं शेष राशि का 50 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय को एवं 50 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा की जावेगी।

11) जिला खनिज प्रतिष्ठान में इस मद से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग में सड़कों के निर्माण और संधारण को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके अतिरिक्त राशि का उपयोग नदी के संरक्षण और वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि में किया जावेगा।

12) ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि का व्यय करने के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि

का उपयोग करने के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जायेंगे।

13) रूपये 25/- प्रति घन मीटर की राशि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को प्रशासनिक व्यय के रूप में दी जाएगी। इस राशि का व्यय निगम द्वारा निम्नलिखित अनुसार करेगा:-

(अ) खनन योजना तैयार करना, पर्यावरण स्वीकृति, सी.टी.ओ. एवं अन्य वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में लगने वाला वैधानिक, प्रशासनिक एवं आकस्मिक व्यय।

(ब) ऐसे जिलें जिनमें जहां पर 20 या अधिक रेत खदानें हैं। उन जिलों में संविदा आधार पर रेत प्रबंधक की नियुक्ति की जायेगी। रेत प्रबंधक द्वारा खदान निरीक्षण, खनन योजना तैयार करने, पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने, प्रदूषण संबंधी सम्मति प्राप्त करने के लिये समन्वयक के रूप में कार्य किया जायेगा। रेत प्रबंधक की नियुक्ति सेवा निवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा/खनिज विभाग/नगर तथा ग्राम निवेश/वन सेवा के राजपत्रित अधिकारी में से विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जायेगी। जिन्हें रूपये 35,000/- प्रतिमाह पेंशन के अतिरिक्त देय होगा।

(स) रेत खनिज प्रबंधक को सहायता प्रदान करने एवं अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम से एक-एक लिपिक उपलब्ध कराया जायेगा।

14) निर्माण विभाग के कार्यों के ठेकेदार भी इसी व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से रेत प्राप्त करेंगे। उनसे विभागों द्वारा रॉयल्टी भुगतान का खनिज विभाग से सत्यापित प्रमाण पत्र नहीं मांगा जावेगा।

15) वर्तमान में स्वीकृत एवं संचालित रेत खदान की अनुबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात इन खदानों को कलेक्टर द्वारा, ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को संचालन हेतु दी जायेंगी।

16) निजी भूमि पर उपलब्ध रेत खनिज की उत्खनन अनुज्ञा कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं खनिज अधिकारी की अनुशंसा पर दी जायेगी। निजी भूमि से उत्खनित रेत पर रॉयल्टी 100/- प्रति घन मीटर एवं रूपये 25 प्रति घन मीटर प्रशासनिक देय होगा।

17) रेत खनन की वर्तमान नीति के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा खनिज साधन के विभिन्न कार्यों का दायित्व निम्नानुसार होगा:-

(अ) खनिज साधन विभाग - तकनीकी स्वरूप के कार्य

1. रेत खदानों का चिन्हांकन
2. रेत खदान के चिन्हांकन के बाद उसे घोषित करना
3. रेत खदान में रेत की मात्रा का आंकलन करना
4. रेत खदान के लिये माईनिंग प्लान बनाना
5. रेत खदान के लिये पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना, जल और वायु सम्मति प्राप्त करना
6. खनिज साधन विभाग रेत सहित अन्य खनिजों के लिये वेब पोर्टल बना रहा है और वाहनों की जी.पी.एस. ट्रेकिंग की व्यवस्था कर रहा है। अत: यह दायित्व खनिज साधन विभाग के पास रहेंगे।
7. खनिज संसाधन के बेहतर मूल्यांकन के लिये सस्टेनबल सेंड माईनिंग गाईड लाईन के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के दृष्टि कोण से खदान में दो बार (मानसून समाप्ति के तत्काल बाद माह अक्टूबर - नवंबर में एवं मानसून आरंभ होने के पूर्व माह अप्रैल - मई में) और आवश्यकतानुसार बीच में एक बार निरीक्षण किया जायेगा। प्रत्येक निरीक्षण का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेजा जायेगा। परंतु खनिज साधन विभाग के अधिकारियों द्वारा खदानों के आकस्मिक निरीक्षण नहीं किए जायेंगे।

(ब) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ नगरीय विकास एवं आवास विभाग - प्रशासकीय कार्य

1. पंचायत क्षेत्र / नगरीय निकाय क्षेत्र में उपलब्ध रेत खदान पर संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण यथा अवैध उत्खनन, परिवहन पर रोक।
2. खदान घोषित होने के पश्चात खदान से रेत के विपणन की व्यवस्था
3. रायल्टी संकलन
4. रेत खदानों में रेत उत्खनन के संबंध में माईनिंग प्लान, पर्यावरण पूर्व स्वीकृति एवं जल तथा वायु सम्मति की शर्तों का पालन
5. रेत विपणन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये सभी प्रकार की प्रशासकीय कार्यवाहियां
6. रेत विपणन व्यवस्था और इसके समुचित संचालन तथा अवैध उत्खनन, परिवहन की रोकथाम का संपूर्ण दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / नगरीय विकास एवं आवास विभाग का होगा। इसमें खनिज साधन विभाग की भूमिका नहीं होगी।

   खदानों के आकस्मिक निरीक्षण की प्रणाली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(स) खदानों की जियो फेंसिंग, वाहनों की जी.पी.एस. ट्रेंकिंग एवं साफ्टवेयर का विकास खनिज साधन विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभिमत प्राप्त कर किया जायेगा।

18) रेत प्राप्त एवं परिवहन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

क) इच्छुक व्यक्ति/व्यापारी सुविधाजनक खदान का चयन करेगा।

ख) इस बाबत खनिज विभाग द्वारा बनाए गए साफ्टवेयर पर वांछित मात्रा के लिए निर्धारित राशि आनलाइन जमा करना होगा। साथ ही वाहन का

प्रकार नम्बर ड्राइवर का मोबाइल एवं खदान पर पहुंचने का समय दर्ज करना होगा।

ग) उपरोक्तानुसार राशि और जानकारी दर्ज करने के बाद साफ्टवेयर रेत का इंडेंट/रसीद ड्राइवर के मोबाइल पर भेजेगा जिसे लेकर वह 4 घंटे के अंदर संबंधित खदान से रेत उठा सकेगा। रेत उठाने की व्यवस्था स्वयं करना होगा।

घ) पीपीपी माडल पर वाहन ट्रेकिंग के लिए साफटवेयर बनाया जाएगा। वाहन पर वाहन मालिक द्वारा जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा। साफटवेयर के माध्यम से खदानों में आने वाले वाहनों की गणना की जाएगी।

ड) उपरोक्त कार्यवाही किये जाने में लगभग 6 माह का समय लगना संभावित है। साफटवेयर बन जाने के बाद घोषित तिथि के पश्चात बिना जीपीएस उपकरण लगे वाहनों का खदान पर प्रवेश वर्जित होगा। इस व्यवस्था के लागू होने तक बिना जीपीएस के वाहनों से रेत का परिवहन किया जाना निरंतर रखा जाएगा।

च) ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य के लिये पंजीकृत ट्रेक्टरों को रेत परिवहन के लिये छूट दी जायेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में आवश्यक संशोधन किया जावेगा।

छ) स्थानीय स्तर पर राशि के ऑनलॉईन भुगतान हेतु सुविधा विकसित की जायेगी।

19) रेत खनिज नीति, 2015 के तहत संचालित सभी खदानें यथावत ठेकेदारों के माध्यम से चालू रहेंगी। नर्मदा नदी पर स्वीकृत खदानों पर लगी रोक अब समाप्त हो जावेगी।

20) इस नीति के कारण यदि कलेक्टर सेक्टर अथवा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम का कोई ठेकेदार अपनी खदान समर्पण करना चाहता है तो उसके द्वारा जमा की गई संपूर्ण जमा सुरक्षा राशि नियमों एवं अनुबंध की शर्तों में छूट देते हुए वापिस की जायेगी। इस तरह रिक्त हुई खदानों को भी संबंधित पंचायत / नगरीय निकायों को सौंपा जावेगा।

21) नर्मदा नदी पर रेत खदानों पर मशीन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अन्य नदियों पर आवश्यकता अनुसार मशीनों का उपयोग वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर किया जा सकेगा।

22) रेत खनन नीति 2015 के तहत जो नीलाम खदानें वैधानिक अनुमतियां प्राप्त नहीं होने के कारण अनुबंधित नहीं हो पाई हैं, उनमें कलेक्टर द्वारा आवंटित खदानों में संबंधित नियम शिथिल कर एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा जारी निविदा शर्तों और आशय पत्र की शर्तों में छूट देते हुए उनकी जमा सुरक्षा राशि वापिस की जावेगी।

23) रेत खनिज नीति लागू करने के लिये पृथक से नवीन नियम समन्वय में अनुमोदन प्राप्त कर विभाग द्वारा जारी किया जावेगा।

24) नीति को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिये सभी प्रकार के आवश्यक दिशा निर्देश विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।